न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) — जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 179/2020
3. उनवान : सरकार जरिये रामभजन मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

मैसर्स देवकरण गुर्जर, प्राधिकृत लंबित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत छितौली तहसील विराटनगर।

4. निर्णय दिनांक : 28.03.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री बी.एम. गुर्जर अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, विराटनगर श्री रामभजन मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 26.07.2015 को अप्रार्थी द्वारा गेहू की कालाबाजारी की शिकायत की जांच हेतु पुलिस थाना विराटनगर द्वारा ग्राम छितौली पहुच कर जांच की गई। पुलिस थाना विराटनगर ने अपनी लिखित तहरीर में बताया कि दिनांक 25.07.2015 को ग्राम पंचायत छितौली के सरपंच ने अप्रार्थी देवकरण गुर्जर की पिकअप आरजे 52–जीए–0115 से राशन के गेहूं की कालाबाजारी की दूरभाष पर शिकायत की। शिकायत की जांच हेतु पुलिस जाब्ता छितोली स्थित डीलर की दुकान पर पंहुचा, वहां खडी पिकअप में 40 कट्टे गेहूं के भरे हुए थे। मौके पर ड्राइवर तथा खलासी नहीं था। पिकअप को मय गेहूं के पुलिस थाना विराटनगर लाकर खडा किया गया। प्रवर्तन दल द्वारा पुलिस थाना परिसर में खडी पिकअप की जांच की गई जिसमें एफसीआई के शिल्ड के बारदाने में 40 कट्टों में 17.20 क्विं. गेहूं पाया गया। प्रवर्तन जांच दल द्वारा ग्राम छितोली स्थित राशन डीलर की दुकान पर पंहुच कर डीलर को मय रिकार्ड बुलाकर आवश्यक जांच की गई व भौतिक सत्यापन किया गया। डीलर को विभिन्न योजनाओं में कुल 290.13 क्विं गेहू प्राप्त हुआ व कुल 229.68 क्विं गेहूं वितरण हुआ। इस प्रकार स्टॉक में 60.45 क्विं गेहू शेष होना चाहिए जबकि भौतिक सत्यापन में 75 कट्टों में 35 क्विं गेहूं पाया गया। साथ ही जुलाई 2015 के स्टॉक रजिस्टर में भी 29.28 क्विं. गेहूं इन्द्राज है जबकि वितरण रजिस्टर में इन्दाज नहीं था। इस प्रकार कुल 54.73 क्विं गेहूं का दुरुपयोग डीलर द्वारा किया गया। जिसमें से 17.20 क्विं. गेहू डीलर के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पुलिस द्वारा पकडा गया। डीलर के स्टॉक रजिस्टर व भौतिक सत्यापन पर 220 लीटर केरोसीन कम पाया गया। इस प्रकार पुलिस द्वारा कालाबजारी करते हुए पकडे गये 17.20 क्विं. गेहूं मय बारदाना तथा पिकअप संख्या आरजे 52–जीए–0115 को जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, पूछताछ पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि की प्रति पेंश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 13.12.2022 को अधिवक्ता श्री बी. एम. गुर्जर ने उपस्थिति दी। दिनांक 12.08.2015 को श्री श्योराम ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर गाडी को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 5,50,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 14.08.2015 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थी/अधिवक्ता की ओर से आदिनांक तक जवाब पेश नही किया गया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान भी बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 20.03.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 26.07.2015 को अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान में जांच के दौरान आहरण व वितरण रजिस्टर तथा भौतिक सत्यापन में 54.73 क्विं गेहूं व 220 लीटर केरोसीन कम पाया गया। पुलिस ने दिनांक 25.07.2015 को कालाबजारी करते हुए 17.20 क्विं. गेहूं मय बारदाना तथा पिकअप संख्या आरजे 52–जीए–0115 को जब्त किया था। अप्रार्थी, गाडी चालक व खलासी मौके पर मौजूद नहीं थे। प्रवर्तन दल की जांच के दौरान कम पाये गये गेहूं, केरासीन व पुलिस द्वारा जब्त 17.20 क्विं. गेहूं के संबंध में अप्रार्थी द्वारा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया, ना ही उक्त जब्त वस्तुओं के सम्बन्ध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत किये। जिससे यह प्रतीत होता है कि डीलर द्वारा गेहूं व केरोसीन की कालाबाजारी की जा रही थी। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी वाहन के अलावा अन्य जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के प्रावधान तथा केरोसीन उपयोग पर निबंधन एवं अधिकतम कीमत नियतन आदेश 1993 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। चूंकि जब्ती के दौरान वाहन मालिक, वाहन चालक व खलासी में से कोई भी मौके पर मौजूद नहीं था साथ ही पिकअप से परिवहन करते हुए सामान जब्त नहीं किया गया अपितु दुकान के बाहर खडी पिकअप से सामान जप्त किया गया था। इसलिए उक्त प्रकरण मे वाहन और वाहन मालिक की संलिप्तता स्पष्ट नहीं है। चूंकि प्रकरण में जप्त पिकअप संख्या आरजे 52–जीए–0115 को वाहन मालिक द्वारा सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करवा लिया गया था। इसलिए उक्त वाहन को प्रकरण से मुक्त किया जाता है तथा जब्तशुदा अन्य सामग्री 17.20 क्विं. गेहूं मय बारदाना को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate • JAIPUR •

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।